



फैक्स Fax : 28134075
दूरभाष Phone : 28134076
ई-मेल E-mail :
investors@indianbank.co.in

कार्पोरेट कार्यालय / CORPORATE OFFICE
निवेशक सेवा कक्ष Investor Services Cell
द्वितीय तल, 'सी' विंग 2nd Floor, 'C' Wing
254-260 अव्वै शम्भुगम सालै, Avvai Shanmugam Salai
रायपेट्टा Royapettah
चेन्नै Chennai 600 014

Ref : ISC /789/ 2014-15

February 25, 2015

The Vice President
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai - 400 051.

Dear Sirs,

Sub: Corporate Announcement - NSE Symbol : INDIANB.

Further to our letter dated February 14, 2015, informing the decision of our Board to hold an Extra-ordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank on March 23, 2015, for obtaining their approval for the proposed preferential issue of equity shares aggregating to ₹ 280 crore to the Government of India, we send herewith the soft copy of the Notice for the EGM.

In compliance to Clause 31 of the Listing Agreement, six copies of the Notice are couriered to you separately.

We request you to take on record the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

(A Ganesa Rathnam)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a



कॉर्पोरेट कार्यालय :: निवेशक सेवा कक्ष
254-260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा,
चेन्नै – 600 014

Corporate Office, Investor Services Cell
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah
Chennai - 600 014.

सोमवार, मार्च 23, 2015 को चेन्नै में आयोजित की
जानेवाली असाधारण आम बैठक की सूचना

Notice of Extra-ordinary General Meeting
Monday, the March 23, 2015 at 10.00 a.m.
at Chennai

विषयवस्तु

पृष्ठ संख्या

नोटिस	3
स्पष्टीकरण विवरण	8
प्राक्सी फार्म	17
उपस्थिति पर्ची	19

CONTENTS

Page No.

Notice	10
Explanatory Statement	15
Form of Proxy	18
Attendance Slip	20

प्रधान कार्यालय : 66 राजाजी सालै, चेन्नै 600001.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सोमवार, मार्च 23, 2015 को पूर्वाह्न 10.00 बजे इंडियन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

अधिमानी आबंटन के जरिए भारत सरकार (जीओआई) को ईक्विटी शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में आशोधन सहित या आशोधन रहित पारित करने के लिए विचार करना और सही माने जाने पर पारित करना।

“संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और समय समय पर यथासंशोधित इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, प्रतिबंध, यदि हों के अध्यक्षीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित की जानेवाली शर्तों एवं निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन, जिस पर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति प्रकट की हो और सेबी (पूजी जारीकरण और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियमन, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारिबैंक द्वारा और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमनों के अध्यक्षीन और बैंक के ईक्विटी शेयर जहाँ सूचीबद्ध हैं, उस स्थान के स्टॉक एक्सचेंज जिनके साथ लिस्टिंग करार किया गया है, उसके अध्यक्षीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर उसे बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” शब्द से जाना जाएगा जिसमें समझा जाएगा कि बोर्ड द्वारा गठित/गठित की जानेवाली समिति शामिल होगी ताकि वे अपने अधिकारों का, जिसमें इस संकल्प के जरिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग भी शामिल है, प्रयोग कर सकें) को प्रदान किया जाता है तथा यह सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रीमियम राशि को शामिल करते हुए प्रत्येक शेयर ₹.10 मूल्य वाले उतनी संख्या के शेयरों को सृजित, प्रदत्त, जारी और आबंटित करेगा जिससे कि वह 280 करोड़ रुपए (रुपए दो सौ अस्सी करोड़) के कुल मूल्य का बने, अधिमान्य आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को ₹.10/— प्रति शेयर के ईक्विटी शेयर आबंटित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अधिमान्य निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए “संबंधित तारीख, फरवरी 20, 2015 होगी”।

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनके साथ बैंक के शेयर सूचीबद्ध किये गए हैं/ या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे निर्गम, आबंटन और सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, अनुमति, सहमति और स्वीकृति प्रदान करते समय और बोर्ड द्वारा सहमत रूप से प्रस्ताव में अपेक्षा की गई रूप से या लागू किए अनुसार किसी प्रकार के आशोधन को स्वीकृत करने के प्राधिकार और अधिकार प्राप्त होगा।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि अब इस संकल्प के अनुकरण में अधिमान्य आधार पर जारी और आबंटित किए जानेवाले कथित ईक्विटी शेयर, अमूर्त आधार पर जारी किए जाएंगे और सेबी-आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VII में अपेक्षित अनुसार लॉक-इन अपेक्षाओं के अध्याधीन होंगे तथा सभी पहलुओं में (लाभांश सहित) बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के बराबर माने जाएंगे और बैंक के ईक्विटी शेयर जिन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, उनमें सूचीबद्ध किए जाएंगे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजनार्थ एतद् द्वारा बोर्ड को प्राधिकार प्रदान किया जाता है कि वह अपने विवेक के अनुसार ऐसे सभी कार्य, कृत्य, काम या कदम उठाए जो उसके पूर्ण विवेक के अनुसार वह आवश्यक, उचित और वांछित मानता हो और ईक्विटी शेयरों के निर्गम के मामले में उठ सकने वाले प्रश्न, कठिनाइयों या संदेहों का समाधान करे और आगे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, काम या कदम, यथावश्यक, वांछित या लाभकारक सभी प्रलेख और लिखित दस्तावेजों को अंतिम रूप दे व निष्पादित करे जो वह अपने पूर्ण विवेक पर उचित, ठीक या वांछनीय मानता हो तथा उसे शेयरधारकों से आगे किसी प्रकार की सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और यह आशय स्पष्ट है कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के जरिए स्पष्ट रूप से इसके लिए पूर्णतः अपना प्राधिकार प्रदान किया है।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकार प्रदान किया जाए कि वह इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को या कार्यपालक निदेशक को या बैंक के अन्य किसी अधिकारी को, जिसे वह उचित समझता है, उपयुक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रत्यायोजित करे ।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : फरवरी 20, 2015

तेजेन्द्र मोहन भसीन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणी :

1. स्पष्टीकरण विवरण जिसमें बैठक के कारोबार के संबंध में भौतिक तथ्य दिए गए हैं, को इसके साथ संलग्न किया गया है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयर धारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन के पहले अर्थात् बुधवार, मार्च 18, 2015 को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉर्पोरेट निकाय, जोकि बैंक का शेयर धारक है, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, मार्च 18, 2015 को या उससे पहले बैंक बंद होने के समय के पूर्व कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग 2-सी, दूसरा तल, 254-260 अक्वे षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600014 के पास जमा की जानी चाहिए।

4. उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेशाधिकार पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रवेशाधिकार पत्र को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रतिनिधित्वधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची को भरें तथा उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधि, यथास्थिति उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेशाधिकार पत्र पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" उल्लेख करेंगे।

5. मतदान करने का अधिकार :

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पड़नेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यक्षीन अंतिम तारीख, अर्थात् शुक्रवार, फरवरी 13, 2015 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक, असाधारण सामान्य बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग या पोल में भाग लेने और मतदान करने के लिए हकदार होगा और उसको अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत (वोट) प्राप्त होगा। यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर धारित है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम प्रथम है, मतदान के प्रयोजनार्थ उसको एकल धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर धारित हैं तो उनमें से प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार होगा।

6. ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित सूचीबद्ध करने के करार के खण्ड 35बी की शर्तों के अनुसार बैंक के सभी सदस्यों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जरिए विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि दिनांक फरवरी 20, 2015 को आयोजित की जानेवाली बैंक की असाधारण सामान्य बैठक की नोटिस में उल्लिखित संकल्पों पर वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। ई-वोटिंग की प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन, और कॉर्पोरेट प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:-

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) **150218018** है

(ए) सदस्यों द्वारा ईमेल प्राप्त करने की स्थिति में :

- यदि आपकी डीमेट रूप से शेयर धारिता है और किसी कंपनी के ईवीएसएन में मतदान देने के लिए आपने कभी www.evotingindia.com में लॉग-आन किया है तो आपके वर्तमान लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागू करें।
- वोट करने के लिए "शेयरहोल्डर" टैब पर क्लिक करें।
- अब ड्राप-डाउन मेनू से "कंपनी का नाम" के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला नंबर - "ईवीएसएन" का चयन करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
- अब उपयुक्त बक्सों में निम्नलिखित विवरण भरें :-

	डीमेट रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए	भौतिक रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए
यूसर आईडी	एनएसडीएल हेतु 8 कैरक्टर वाला डीपीआईडी तथा उसके बाद 8 अंकोंवाला ग्राहक (क्लाईट) आईडी सीडीएसएल हेतु 16 अंकोंवाला हिताधिकारी (बेनीफिशियरी) आईडी	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर
पीएएन (पैन) *	ई-वोटिंग करते समय सिस्टम द्वारा मांगे जाने पर, आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा-न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पीएएन (पैन) * दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक, दोनों के लिए लागू)	
जन्म-तिथि डीओबी#	आपके डीमेट खाते में दर्ज रिकार्ड के अनुसार या कथित डीमेट खाते या फोलियो में दर्ज कंपनी के रिकार्ड के अनुसार जन्म की तारीख को प्रविष्ट करें।	
लाभांश - बैंक विवरण #	आपके डीमेट खाते में या कथित डीमेट खाते या फोलियो के लिए दर्ज कंपनी के रिकार्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें।	

* जिन सदस्यों ने कंपनी / निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना पीएएन (पैन) अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे <Default number>, पीएएन (पैन) फील्ड का प्रयोग करें।

लॉगइन करने हेतु कृपया किसी एक विवरण को दर्ज करें।

vi. इन विवरणों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

vii. भौतिक रूप में शेयर धारिता रखने वाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमेट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड बदलने" के मेनू में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागू पासवर्ड को बदलें। नये पासवर्ड में कम से कम 8 कैरक्टर हों जिसमें से एक ऊपरी केस (बड़े अक्षर A से Z) में हो, एक निचले केस (छोटे अक्षर a से z) हों, एक अंक (0-9) हो और एक विशेष कैरक्टर हो (@#\$%&*)। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमेट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सख्त सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि इस परिवर्तित पासवर्ड का प्रयोग, डीमेट धारकों द्वारा इस कंपनी के या अन्य किसी कंपनी के, जहाँ वे मतदान देने के लिए पात्र हैं, संकल्पों के लिए मतदान देने में किया जाएगा, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प देती है।

viii. आप जिस ईवीएसएन को वोट डालने के लिए चुनना चाहते हैं उस पर क्लिक करें

ix. वोटिंग के पृष्ठ पर आय संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु "हाँ/नहीं" का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं का चयन करें। हाँ विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

- x. आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- xi. आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसका चुनने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" (OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- xii. आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टिकृत" (CONFIRM) कर देते, तो आप उसे बदल नहीं सकते।
- (बी) ईजीएम के नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है/निक्षेपागार प्रतिभागी या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करनेवाले):-

कृपया मतदान देने हेतु ऊपर क्रमांक (ii) से क्रमांक (xii) का अनुकरण करें।

- (सी) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे <https://www.evotingindia.com> में लागू ऑन करें और अपना पंजीकरण करा लें, जिस खाते में वे वोट करना चाहते हैं, उसमें लिंक कर लें और अपना वोट दें। संवीक्षक द्वारा वोट का सत्यापन कर सकने के लिए वे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में बोर्ड संकल्प की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करें।
- (डी) वोटिंग की अवधि मंगलवार, मार्च 17, 2015 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, मार्च 19, 2015 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक रूप से या अमूर्त रूप से बैंक के शेयर कट-ऑफ की तारीख को, अर्थात् फरवरी 13, 2015 को रखे हुए हैं, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को असमर्थित किया जाएगा। किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के बाद शेयरधारक को उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ई) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ करनी है, तो आप "बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न" (एफएक्यू) या www.evotingindia.com में उपलब्ध ई-वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या helpdesk.evoting@cdslindia.com में हमें ई-मेल भेजें।

7. बैठक में मतदान देना :

कार्यसूची की मद के लिए मतदान, ई-वोटिंग या मतदान के जरिए किया जाएगा और न कि हाथ उठाकर। जिन व्यक्तियों ने ई-वोटिंग के विकल्प को नहीं चुना है, वे बैठक की तारीख को ईजीएम के आयोजन स्थल पर किए जानेवाले पोल (मतदान) में अपना मत दे सकते हैं।

कार्यसूची की मद पर विचार विमर्श के बाद कार्यसूची की मद के लिए अध्यक्ष पोल आयोजित करने के आदेश देंगे। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए जानेवाले संवीक्षकों के पर्यवेक्षण में पोल आयोजित किया जाएगा। पोल की समाप्ति के बाद अध्यक्ष, बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे। बैठक में उपस्थित शेयरधारकों / प्राक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बैलट पेपर जारी किए जाएंगे। कट-ऑफ की तारीख को, अर्थात् फरवरी 13, 2015 को उनके द्वारा बैंक के जितने शेयर धारित हैं, उनको उतने वोट (मत) मिलेंगे। शेयरधारक अपने विकल्प के अनुसार बैलट पेपर पर कार्यसूची की मद के विरुद्ध "के पक्ष में" या "के विरुद्ध" के आगे (✓) निशान लगाते हुए अपना मतदान दें तथा बैठक के हॉल में इस प्रयोजन के लिए रखे गए बक्स (बक्सों) में उसे डाल दें।

ई-वोटिंग के परिणामों के साथ इस पोल के परिणाम के योग को बैंक अपनी वेबसाइट में घोषित करेगा तथा इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैठक में वे इस नोटिस की प्रति लाएं।

स्पष्टीकरण विवरण तथा प्रकटीकरण, जोकि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (आईसीडीआर) विनियमन 2009 के अध्याय VII की शर्तों के अनुसार किया जाना आवश्यक है :

ए. अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य :

बैंक की प्रदत्त पूंजी में प्रत्येक शेयर रु.10 मूल्य के 46,48,48,488 शेयर हैं जिसकी कुल राशि 464.85 करोड़ रुपए है। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्रत्येक शेयर रु.10 मूल्य के 37,88,98,488 शेयर धारित हैं जिसका कुल मूल्य 378.90 करोड़ रुपए (81-51 %) है।

इस नए मापदण्ड पर ध्यान देते हुए, जहाँ अधिक से अधिक कुशलता के साथ काम करनेवाले बैंकों द्वारा अपनी स्थिति को और भी सुदृढ़ बनाये जाने के लिए उनकी ईक्विटी के लिए अधिक पूंजी भेंट के रूप में दी जाएगी, भारत सरकार ने फरवरी 09, 2015 की अपनी संसूचना के जरिए अपने निर्णय द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान्य आबंटन के जरिए बैंक में वह 280 करोड़ रुपए की पूंजी लगाएगी।

सरकार को ईक्विटी के प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम को टियर I पूंजी में लिया जाएगा जिससे सीआरएआर बेहतर बनेगा और भविष्य में कारोबार के विस्तार में काम आएगा तथा विनियामक द्वारा निर्धारित सीईटी I की अपेक्षा की पूर्ति करेगा। प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम के साथ बैंक की ईक्विटी पूंजी में भारत सरकार की धारिता, 81.51 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ेगी।

बी. प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम का मूल्य निर्धारण :

संपूर्ण अधिमान्य निर्गम भारत सरकार को निर्गमित किया जा रहा है और सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के विनियम 76 (1) के अनुरूप निर्गम मूल्य निर्धारित किया जाएगा। ईक्विटी शेयरों का निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, फरवरी 20, 2015 "संबंधित तारीख" होगी।

सी. अधिमान्य निर्गम के पूर्व और बाद में शेयरहोल्डिंग पैटर्न :-

क्र. सं.	वर्ग	निर्गम के पूर्व (फरवरी 20, 2015 को)		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
ए.	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	37,88,98,488	81.51	**	**
बी.	गैर-प्रवर्तक की धारिता	8,59,50,000	18.49	8,59,50,000	**
	योग	46,48,48,488	100.00	**	**

** भारत सरकार को, नकदी में रुपए 10/- प्रत्येक शेयर के ईक्विटी शेयरों का अधिमान्य निर्गम होगा और प्रीमियम सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।

डी. बैंक निर्गम प्रक्रिया को सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों में सूचित किए अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है।

ई. चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को, जोकि बैंक का अधिकांश शेयरधारक और प्रवर्तक है, को किया जानेवाला है, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

एफ. अधिमान्य आधार पर शेयरों के आबंटन के संबंध में भारत सरकार का निर्गम पूर्व और निर्गम के बाद का शेयर होल्डिंग निम्न प्रकार होगा :-

	शेयरों की संख्या	पूँजी के प्रतिशत के रूप में
निर्गम पूर्व (फरवरी 20, 2015 तक)	37,88,98,488	81.51%
निर्गम के बाद	** ऊपर सी) में दी गई टिप्पणियों के अनुसार	**ऊपर सी) में दी गई टिप्पणियों के अनुसार

- जी. बैंक के ईक्विटी शेयरों की छह महीने से अधिक अवधि के लिए लिस्टिंग की गई है तथा तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के प्रावधान 76(3) तथा 78(5) लागू नहीं होंगे।
- एच. भारत सरकार को आबंटित किए जानेवाले नए शेयरों को, बैंक की प्रदत्त पूँजी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक, ट्रेडिंग अनुमोदन होने की तारीख से तीन साल तक अवरुद्ध किया जाएगा तथा ऊपर उल्लिखित 20 प्रतिशत से अधिक पडनेवाले नए आबंटित शेयरों को ट्रेडिंग अनुमोदन होने की तारीख से 1 साल तक अवरुद्ध किया जाएगा।
- आई. सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार विशेष संकल्प के अनुरूप निर्गमित शेयरों को, भारत सरकार के समूचे पूर्व-अधिमान्य होल्डिंग को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से संबंधित तारीख शुरू होने से छह महीने की अवधि तक अवरुद्ध किए जाने की अपेक्षा की गई है।
- जे. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस आशय से जारी किए प्रमाण पत्र जिनमें यह प्रमाणित है कि निर्गम को इन विनियमनों की आवश्यकताओं के अनुरूप जारी किया गया है, को असाधारण आम बैठक में रखा जाएगा।
- के. भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी शेयरों को डीमैट मोड में रखा गया है तथा बैंक ने ईक्विटी शेयरों के लगातार लिस्टिंग की शर्तों का पालन किया है जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार में सूचित है और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का लिस्टिंग किया गया है।
- एल. भारत सरकार ने संबंधित तारीख के पूर्व छह महीने के दौरान ईक्विटी शेयरों की कोई बिक्री नहीं की है।
- एम. स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैंक द्वारा निष्पादित लिस्टिंग करार के खंड 23 की आवश्यकता के अनुसार जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर लिस्टिंग किए जाते हैं तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के अध्याय VII के अनुसार बैंक ने, भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए शेयरधारकों से विशेष संकल्प के जरिए अनुमोदन मांगा है।
- एन. जहाँ भी आवश्यक हो, बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के प्रावधानों के अनुसार ईक्विटी शेयरों की कीमत का परिकलन करने का उत्तरदायित्व लेता है।

आपके निदेशकगण दी गई सूचना के अनुसार विशेष संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक का कोई भी निदेशक विशेष संकल्प से न तो व्यक्तिगत तौर पर संबंधित है और न ही किसी का कोई स्वार्थ निहित है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै
दिनांक : फरवरी 20, 2015.

तेजेन्द्र मोहन भसीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders of Indian Bank will be held on Monday, the March 23, 2015 at 10.00 a.m. at IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028 to transact the following business:

Issue of Equity Shares through preferential allotment to Government of India (GOI)

To consider and if thought fit pass with or without modification the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) as amended upto date and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot such number of equity shares of ₹ 10/- each (Rupees ten only) for cash at Issue Price including premium as determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, aggregating upto ₹ 280 crore (Rupees Two Hundred and Eighty crore only) on preferential basis to Government of India (President of India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is February 20, 2015."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI-ICDR Regulations and shall rank pari passu in all respects (including dividend) with the existing equity shares of the Bank and be listed on the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed."

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai

Date : February 20, 2015

T M Bhasin

Chairman and Managing Director

NOTES

I. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

II. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank at its Investor Service Cell, not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extra ordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the March 18, 2015.

III. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014, not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extra-ordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the March 18, 2015.

IV. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

V. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off date i.e, on Friday, the February 13, 2015 will be entitled to participate and vote in the e-voting or poll at the Extra-ordinary General Meeting and shall have one vote for each share held by him/her. If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

VI. E-VOTING:

In terms of Clause 35B of the Listing Agreement read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to provide e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolution mentioned in the notice of the Extra-ordinary General Meeting of the Bank dated February 20, 2015. The Bank has appointed M/s.S N Ananthasubramanian & Co, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is **150218018**

(A) In case of members receiving e-mail:

- i. If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- ii. Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii. Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- iv. Now, select the Electronic Voting Sequence Number - "EVSN" along with "COMPANY NAME" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- v. Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares In Demat Form	For Members holding shares In Physical Form
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL: 16 digits beneficiary	Folio Number registered with the Company
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)	
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	
Dividend Bank Details#	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	

* Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the default number: <Default Number> in the PAN field.

Please enter any one of the details in order to login.

- vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- vii) Members holding shares in physical form will then reach directly to the voting screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Change' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # \$ % & *). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.
- viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.
- ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- x) Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolution.
- xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(B) In case of members receiving the physical copy of Notice of EGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company / depository participant(s) or requesting physical copy]:

Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

- (C) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to <https://www.evotingindia.com> and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
- (D) The voting period starts from 10.00 a.m. on Tuesday, March 17, 2015 and ends at 5.00 p.m. on Thursday, March 19, 2015. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of February 13, 2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- (E) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

vii Poll at the Meeting

The voting for the agenda item shall be done by e-voting or by Poll and not on show of hands. Those who have not exercised the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Poll to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting.

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order poll in respect of the agenda item. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Ballot Papers will be issued to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives present at the meeting. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e. February 13, 2015. The Shareholders may exercise their right of vote by tick marking as (✓) against "FOR" or "AGAINST" as his choice may be, on the Agenda Item in the Ballot paper and drop the same in the Ballot Box(es) kept at the meeting hall for the purpose.

The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE NOTICE TO THE MEETING.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

a) Objects of the Preferential Issue

The Paid-up Capital of the Bank consists of 46,48,48,488 Equity Shares of ₹ 10/- each amounting to ₹ 464.85 crore. Of which, the Government of India is holding 37,88,98,488 Equity Shares of ₹ 10/- each amounting to ₹ 378.90 crore (81.51%).

Considering a new criteria in which the banks which are more efficient would be rewarded with extra capital for their equity to enable them to further strengthen their position, the Government of India has, vide its communication dated February 09, 2015, conveyed its decision to infuse capital funds to the tune of ₹ 280 crore in the Bank by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India.

The proposed preferential Issue of equity to the Government will be considered for the Tier I Capital, which will improve the CRAR to take care of the future business expansion and CET I requirement stipulated by the regulator. With the proposed Preferential Issue, the holding of Government of India in the Equity Capital of the Bank will increase from the existing level of 81.51%.

b) Pricing of the proposed Preferential Issue:

This entire Preferential Issue is being issued to Government of India and the Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations. The 'Relevant Date' for determining the Issue Price of the equity shares is Friday, the February 20, 2015.

c) Shareholding Pattern before and after the issue

Sl.No.	Category	Before the Issue (As on February 20, 2015)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (Government of India)	37,88,98,488	81.51	**	**
B	Non-Promoter Holding	8,59,50,000	18.49	8,59,50,000	**
	Total	46,48,48,488	100.00	**	**

** The Preferential Issue to Government of India will be of such number of equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium to be determined by the Board in accordance with SEBI (ICDR) Regulations.

- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations.
- e) As the entire Issue is proposed to be made to the Government of India, the majority shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.
- f) The Pre and Post Issue shareholding of Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue (As on February 20, 2015)	37,88,98,488	81.51%
Post-issue	** as per remarks given at (c) above	** as per remarks given at (c) above

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- h) The fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for 3 years from the date of trading approval and fresh shares allotted beyond the aforementioned 20% shall be locked in for 1 year from the date of trading approval.
- i) In terms of SEBI ICDR Regulations, pre-preferential holding of GOI is required to be locked-in from the Relevant Date for a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchange for the shares allotted pursuant to the Special Resolution.
- j) The certificate issued by the Statutory Auditor (s) certifying that the 'Issue Price' and the Issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extra-ordinary General Meeting.
- k) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.
- m) As required in Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the Stock Exchanges where the Bank's Equity Shares are listed and Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.
- n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations where it is required to do.

Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors of the Bank are individually concerned or interested in the Special Resolution.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : February 20, 2015

T M Bhasin
Chairman and Managing Director



प्रधान कार्यालय : 66 राजाजी साले, चेन्नै 600001.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260 अद्वै षण्मुगम साले, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

प्रॉक्सी फार्म
(शेयरधारकों द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो संख्या		डीपी आईडी	
		क्लाईट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटेरियलाइज नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमेटेरियलाइज किये गए हो तो)	

मैं / हम, ... राज्य के जिले के
निवासी हैं, इंडियन बैंक का / के शेयरधारक होने के नाते एतद् द्वारा श्री / श्रीमती जो
..... राज्य के जिले के
निवासी हैं, को या उनके द्वारा न हो पाने पर श्री / श्रीमती जो
..... राज्य के जिले के निवासी है को सोमवार 23
मार्च, 2015 को प्रातः 10.00 बजे इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में और उसके किसी स्थान पर
आयोजित की जानेवाली इंडियन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरी / हमारी
ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

आज दिनांक 2015 को हस्ताक्षरित

कृपया 15 पैसे
का राजस्व
स्टैम्प
चिपकाए

.....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर
नाम
पता
.....
प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे दायर करने के लिए अनुदेश

- प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक
क) वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत नहीं किया जाता है ;
ख) संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा
हस्ताक्षरित किया जाता है।
ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता / सकती है, तो यदि उसका चिह्न उस
पर लगाया जाता है और किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्वरेंस सब-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन
बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत् स्थापित नहीं हो और निम्नलिखित पते पर कम से कम असाधारण
सामान्य बैठक की तारीख के चार दिन पहले मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकारी के साथ, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो
या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो,
जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही जमा किया गया हो और बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो।

इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय निवेशक सेवा कक्ष 254-260 अद्वै षण्मुगम साले, रायपेट्टा चेन्नै 600 014	केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, वलब हाउस रोडचेन्नै 600002
--	--

- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी।
- प्रॉक्सी की लिखत विकल्प के रूप में दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, उस असाधारण सामान्य बैठक से जिससे ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत
रूप से वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा
सकता है।



Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I / We resident/s of
in the district of in the state of being a shareholder/
shareholders of the Indian Bank, hereby appoint Shri / Smt resident of
..... in the district of
in the state of or failing him / her, Shri / Smt resident of
..... in the district of
in the state of as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the
Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders of the **INDIAN BANK** to be held on Monday, the
March 23, 2015 at 10.00 a.m. at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028 and at any
adjournment thereof.

Signed this, ... day of 2015

Please affix
15 paise
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of first named / Sole shareholder

Name _____

Address _____

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extra-ordinary General Meeting, together with Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

Indian Bank Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai 600 014.	Cameo Corporate Services Limited Unit : Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai - 600 002.
---	--

- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extra-ordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.



कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष,
254-260 अट्चै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

उपस्थिति पर्ची
(स्थान में प्रवेश करते समय वापस किया जाए)

दिनांक : 23 मार्च, 2015

समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028

पंजीकृत फोलियो संख्या :		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी :	
(यदि शेयर डीमैटरीयलाइज नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमैटरीयलाइज किए गए हों तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं, 23, मार्च 2015 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028, में आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में इसके द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
--	--



कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष,
254-260 अट्चै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

प्रवेशाधिकार (एंट्री) पास
(बैठक के दौरान अपने पास ही रखा जाए)

दिनांक : 23 मार्च, 2015

समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028

पंजीकृत फोलियो संख्या :		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी :	
(यदि शेयर डीमैटरीयलाइज नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमैटरीयलाइज किए गए हों तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

स्थान में प्रवेश हेतु, शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पंजी को बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर करके, प्रवेशाधिकार (एंट्री) पास के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, प्रवेश सत्यापन / जाँच के अद्यधीन होगा जैसा आवश्यक माना जाए। किसी भी स्थिति में बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर कोई डूब्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेशाधिकार (एंट्री) पास जारी नहीं किया जाएगा।



Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : March 23, 2015

Time : 10.00 a.m.

Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present			

I hereby record my presence at the Extra-ordinary General Meeting of the Bank held on Monday, the March 23, 2015 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai – 600 028.

Signature of the Shareholder/Proxy/ Authorised Representative	
--	--



Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : March 23, 2015

Time : 10.00 a.m.

Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.